

26/8/20 25 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित।

वादी वकील व वादीगण को उपस्थित हुए पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए। बार-बार रुक रुक कर वादीगण व वादी वकील को आवाज लगाई गयी फिर भी अनुपस्थित रहे।

अतः वादी वकील द्वारा वस्तुतः राजस्व का अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act अदम्य हानि व अदम्य पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार होकर दफ्तर वाकिल है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा